(48)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : /2017 निगरानी

I/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा/2017/6312

1- रामसिंह
2- लखन सिंह
3- शिवदयाल
4- रामस्वरूप

पुत्रगण पैज सिंह लोधी, समस्त निवासीगण ग्राम दैहरैटा, अब्बल, तैहसील करैरा, जिला शिवपुरी, (मध्यप्रदेश) ---- प्रार्थीगण

विरुद्ध

अजब सिंह पुत्र श्री पन्नालाल लोधी, निवासी ग्राम दैहरैटा अब्बल, तैहसील करैरा, जिला शिवपुरी-मध्यप्रदेश ।

-----प्रतिप्रार्थीगण

एस. के. अवस्थी ... आज दि. 26-12-17 को ... प्रारंभिक तर्क हेतु ... दिनांक 09-01-18 नियत। 26-12-17 रीडर आफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

Noted. 9/1/2018.

नि.आ. 26/12/16

निगरानी विरुद्ध आदेश एंव कार्यवाही दिनांक 25-10-17, अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 प्र0क्र0 178/16-17 अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

1- यह कि, एस0डी0ओ0 महोदय, की आज्ञा एंव की जा रही कार्यवाही कानून सही नहीं है ।

2- यह कि, जब एस0डी0ओ0 महोदय व्दारा आदेश दिनांक 27-9-17 से अपील को अवधि बाह्य मानकर गुण-दोष पर निरस्त कर दिया था तब दिनांक 28-09-17 को प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि दिनांक 27-9-17 का आदेश प्रार्थीगण की उपस्थिति में किया गया था । प्रकरण गलत रूप से पुनरस्थापित करने का आदेश देने में भूल की है ।

क्रमश :----2

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक एक / निगरानी / शिवपुरी / भू.रा / 2017 / 6312

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
23|1|19	आवेदक अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रकरण इस न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 178 / अपील / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 25.10.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार करने एवं म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.9.2018 के हुये संशेधन अनुसार अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी द्वारा पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 25.10.17 के विरूद्व सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनवाई योग्य नहीं रही है। अपितु संशेधन की संहिता की धारा 54 (क) सहपठित धारा 50 (1) (ग) के अनुसार कलेक्टर जिला शिवुपरी के समक्ष सुनवाई योग्य है। तदनुसार प्रकरण जिला शिवपुरी की ओर निराकरण हेंतु हस्तांतरित किया जाता है। पक्षकार दिनांक 29.3.19 को जिला शिवपुरी के समक्ष उपस्थित रहे। सदस्य **कलेक्टर जिला शिवपुरी**	